

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग जयपुर

(जी.3, राजमहल रेजीडेन्शियल एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302015)
टेलीफैक्स.0141-2222403, ईमेल-dlbrajasthan@gmail.com वेबसाईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- पी.एस./डीएलबी/2020/61

जयपुर, दिनांक:-08.04.2020

आयुक्त/अधिकाारी अधिकारी
नगर निगम/परिषद्/पालिका
समस्त राजस्थान।

विषय:-वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (COVID-19) के कारण लागू लॉकडाउन में
सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) की पालना बाबत।

संदर्भ:-शासन सचिव महोदय के पत्रांक SPL-2 दिनांक 26.03.2020 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि जिन निजी एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों जैसे फल-सब्जी, किराना, दूध, मांस-मछली, जानवरों के भोजन आदि दुकानों को लॉकडाउन में छूट प्रदान की गई है, ऐसे वाणिज्यिक संस्थानों एवं दुकानों पर ग्राहकों के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) रखने हेतु दुकानों के सामने चूना, पाउडर, गेरू अथवा चॉक से न्यूनतम एक मीटर की दूरी पर चौकड़ी बनवाई जावें।

उक्त आदेश की निरन्तरता में आपको निर्देशित किया जाता है कि बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) रखने हेतु दुकानों के सामने चूना, पाउडर, गेरू अथवा चॉक से न्यूनतम एक मीटर की दूरी पर चौकड़ी बनवाई जावें।



(उज्ज्वल राठौड़)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:- पी.एस./डीएलबी/2020/62-63

जयपुर, दिनांक:-08.04.2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
2. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।



निदेशक एवं संयुक्त सचिव